संख्या-28 /2026/I/1451347/001-16 1002 15 2025

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2026**

विषय:- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में टाईप-4 के 04 नग आवास के निर्माण संबंधी परियोजना की मूल लागत के सापेक्ष निविदा मूल्य पर पुनरीक्षित लागत का प्रशासकीय वित्तीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-401/अनु०/26, दिनांक 04.05.2026 एवं पत्र संख्या-433/अनुरक्षण/2026, दिनांक 30.06.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परियोजनाओं में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र, गुणवत्ता प्रमाण-पत्र आदि संगत अभिलेख एवं वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17 मई, 2023 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में उक्त परियोजना की मूल लागत (प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति) के सापेक्ष निविदा मूल्य पर पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय वित्तीय अनुमोदन एवं अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासन के आदेश संख्या-02/2026/आई-1199492/2026/001-16 1002 15 2025, दिनांक 08.01.2026 द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में टाईप-4 के 04 नग आवास निर्माण सम्बन्धी परियोजना का विभागीय मूल्याकन समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में मूल्यांकित लागत रू० 280.00 लाख (रू० 2 करोड़ अस्सी लाख मात्र) (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा सुसंगत लेखा शीर्षक से रू० 88.52 लाख (रू० अट्ठासी लाख बावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-7/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के आलोक में हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में टाईप-4 के 04 नग आवास के निर्माण सम्बन्धी परियोजना की मूल लागत रू० 280.00 लाख (रू० दो करोड़ अस्सी लाख मात्र) (जी०एस०टी० सहित) के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा सम्पादित निविदा प्रक्रिया के पश्चात् निविदा मूल्य धनराशि रू० 279.67 लाख (रू० दो करोड़ उन्यासी लाख सड़सठ हजार मात्र) पर पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 आय-व्ययक में अनुदान संख्या-47 के सुसंगत लेखा शीर्षक से परियोजना हेतु **अवशेष धनराशि रू०**191.15 लाख (रू० **एक करोड़ इक्यानबे लाख पन्द्रह हजार मात्र**)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध</u>

(1) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उ०प्र० शासन, दिनांक–28.03.2026 में दी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(2) यथावश्यक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश संख्या-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों का दिव्यांगजन हितैषी/बाधा रहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत Harmonized guidelines and standards for universal accessibillity in India, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर प्रायोजना रचना एवं मूल्याँकन प्रभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

(4) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनाँक 17 मई, 2023 के अनुसार यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो **निविदा मूल्य पर** परियोजना की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी । यह जिम्मेदारी संस्थान एवं कार्यदायी संस्था की होगी कि उक्त शासनानादेश दिनांक 17 मई, 2023 का पूर्णत: अनुपालन किया जाय ।

(5) प्रायोजना में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (Consumed) की गयी सामग्री यथा सीमेन्ट, स्टीट इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये।

(7) प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है । मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/संस्थान का होगा।

(9) प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये ।

(10) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बिना नहीं किया जायेगा । प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन विभाग की अनापत्ति सक्षम स्तर से प्राप्त कर एवं कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

(13) प्रायोजना का कार्य अनुमोदन लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में योजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा ।

(14) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाय ।

(15) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाय।

(16) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्गत शासकीय धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/ राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाएगा और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।

(17) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा जिस मद/कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(18) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन है कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाए।

(19) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के संगत शासनादेशानुसार आवश्यकता के अनुसार धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(20) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(21) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को स्थालीय विकास प्रधिकरण/ सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(22) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्ध्ता की स्थिति में निर्गत किया जाए।

(23) प्रायोजना प्रस्ताव आगणन में पूर्ण किये जाने के कार्यो की मात्रायें एवं इनकी प्राप्त भौतिक प्रगति का समस्त उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(24) निर्माण में समस्त संगत वित्तीय शासनादेशों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(25) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) शासन के आदेश संख्या-02/2026/आई-1199492/2026/001-16 1002 15 2025, दिनांक 08.01.2026 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4-	इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,91,15,000 (रुपये एक करोड़ इक्यानबे लाख पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 047 **लेखा शीर्षक** 4202021051600 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5-	यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र),
विशेष सचिव ।

संख्या-28 /2026/I/1451347/001-16 1002 15 2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर ।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर ।
(5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) निदेशक/वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर ।
(7) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) ।
(8) नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, उ0प्र0 शासन।
(9) परियोजना प्रबंधकउ0प्र0 निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) ।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(12) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन ।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अतल सिंह),
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।